(18)

परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 20सितम्बर, 1975 को 10-30 बजे पूर्वाह्न में हुई उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, की वर्ष 1975 की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1- श्री वी0एस0कटारा	अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त	अध्यक्ष
2- श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित		सदस्य
3- श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव		सदस्य
4- श्री राजबहादुर द्विवेदी		सदस्य
5- श्री सत्तार अहमद		सदस्य
6- श्री आर0आर0शाह	प्रशासक नगरमहापालिका, लखनऊ	सदस्य
7- श्री एच0के0मेहरोत्रा	विशेष वित्त सचिव (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
8- श्री वी0एन0चन्ना	संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन एवं निवास विभाग (सचिव स्वायत्त शासन एवं निवास विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
9- श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी	मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग	सदस्य
10- श्री जे0पी0 दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य

कार्य सूची के अनुसार कार्यक्रम आरम्भ करने के पूर्व अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वर्गीय श्री कल्याण दास जैन जो परिषद के सदस्य थे, के निधन के सम्बन्ध में निम्नलिखित शोक प्रस्ताव रखा गया :

"उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सदस्य माननीय श्री कल्याण दास जैन के पिछले माह जुलाई में आकस्मिक निधन पर परिषद के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों को हार्दिक दुख हुआ है। स्वर्गीय श्री जैन 12-8-70 से लगातार परिषद के सदस्य रहे। वे अत्यन्त शान्ति प्रकृति तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने परिषद के कार्य कलापों में बड़ी रुचि ली और परिषद को आगे बढ़ाने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे। परिषद की अनेक उप-समितियों के भी वे सदस्य रहे और परिषद को सदैव उनका सहयोग एवं मार्ग दर्शन का सौभाग्य रहा। उनके आकस्मिक निधन से परिषद को अपार क्षति हुयी है।

अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण श्री कल्याण दास जैन के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को इस महान दुख को वहन करने की शक्ति दे।"

(हस्ताक्षर) (... सचिव)

इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तत्पश्चात सभी सदस्यों द्वारा स्व0श्री जैन की स्मृति में दो मिनट मौन रह कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। सर्वसम्मति से यह भी

क्रमशः 5 - -2

19

निर्णय लिया गया कि शोक प्रस्ताव की एक प्रति स्वर्गीय श्री कल्याण दास जैन के शोक संतप्त परिवार को भेज दी जाय।

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

क्र0 सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1-	परिषद की दिनांक 14जुलाई, 1975 को हुई वर्ष 1975 की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त को पुष्टि।	IV/(1)/75	कार्यवृत्त की पुष्टि करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने कार्यवृत्त के पद संख्या 21 के निर्णय के अन्त में "तथा परिषद ने इस हेतु शासन को काउन्टर गारेन्टी देना भी स्वीकार किया" जो निर्णय में लिखने से रह गया था, को जोड़ने के लिये कहा। अतः निर्णय में उपरोक्त पंक्ति जोड़ते हुये तथा पद संख्या 22 के निर्णय में सीतापुर के आगे "और फैजाबाद" जोड़ते हुये परिषद द्वारा कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
2-	परिषद की वर्ष 1975 की तृतीय बैठक दिनांक 14जुलाई, 1975 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट।	IV/(2)/75	परिषद ने वर्ष 1975 की तृतीय बैठक दिनांक 14जुलाई, 1975 के कार्य-वृत्त के अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया।
3-	उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याण हेतु परिषद द्वारा रु0 25,000/- दान देने के सम्बन्ध में।	IV/(3)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि उ0प्र0 के "स्पोर्टस मेन वेलफेयर ट्रस्ट" को रु0 5,000/- की धनराशि अनुदान के रूप में देदी जाय।
4-	परिषद द्वारा हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली (हडको) से ऋण लेने हेतु प्रस्ताव पारित करने के लिये उप समिति का गठित किया जाना।	IV/(4)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन से ऋण लेने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक उप समिति गठन करने का निर्णय लिया:- 1- सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, उ0प्र0 शासन, अथवा उनके द्वारा प्रति-नियुक्त अधिकारी। 2- सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अधि-कारी। 3- आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अथवा उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी। साथ ही साथ सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय को परिषद का निर्णय माना जायेगा किन्तु उसको परिषद की आगामी बैठक में अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय। सर्वसम्मति से इस उपसमिति को "हडको" से ऋण लेने एवं शासन को काउन्टर गारेंटी देने हेतु प्रस्ताव पारित करने के लिये अधिकृत किया तथा ऋण सम्बन्धी अनुबन्धों पर आवास आयुक्त की उपस्थिति में परिषद की मोहर लगाये जाने की व्यवस्था अनुमोदित की।

(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

20

1	2	3	4
5-	लो कास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, घटवासन, आगरा, के लिये हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा स्वीकृत ऋण रु० 9-50लाख की स्वीकृति देना।	IV/(5)/75	परिषद ने सर्व सम्मति से "लो कास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट", घटवासन योजना आगरा, को स्वीकृति प्रदान की तथा इसके सम्बन्ध में यह निर्णय लिया कि:- 1- निर्धारित शर्तों पर "हडको" से रु० 9-50 लाख का ऋण लेने हेतु ऋण अनुबन्ध आदि की कार्यवाही की जाय, तथा 2- राज्य सरकार को जो गारेंटी देने हेतु अनुरोध किया गया है उसको स्वीकृति देते हुये राज्य सरकार को परिषद द्वारा काउंटर गारेंटी देने की सहमति प्रदान की।
6-	पर्वतीय क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना एवं अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माणार्थ क्रमश: रु०1-00लाख एवं रु०1-50 लाख का ऋण	IV/(6)/75 / सर्वसम्मति से	परिषद ने सर्व सम्मति से पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत मध्यमआय वर्ग गृह निर्माण योजना के अधीन चार भवनों के निर्माणार्थ रु०1-00 लाख तथा अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अधीन 10भवनों के निर्माणार्थ रु० 1-50 लाख के ऋण लेने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। साथ ही साथ/यह भी निर्णय लिया गया कि इस ऋण को उसी स्थान पर प्रयोग में लाया जाय जहाँ अधिष्ठान तथा भूमि उपलब्ध हो व कार्य शीघ्र आरम्भ किया जा सके।
7-	बस्तौली गाजीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद रोड, लखनऊ के अन्तर्गत अर्जन से मुक्त भवनों के स्वामियों से विकास व्यय लेने का मामला।	IV/(7)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से इस पद पर विचार स्थगित कर दिया।
8-	बरेली पीलीभीत मार्ग पर भूमि विकास योजना में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित श्री कन्हैया लाल वगैरा की भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में।	IV/(8)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से इस पद पर विचार स्थगित कर दिया।
9-	रिंग रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं० 1, मुजफ्फर नगर, के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में नियोजन समिति (पश्चिमी क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर निर्णय	IV/(9)/75 / कीसंस्तुति	परिषद ने सर्वसम्मति से गठित नियोजन समिति की बैठक दिनांक 21-7-75 व 22-7-75/की पुष्टि करते हुये "रिंग रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०1," मुजफ्फरनगर के लिये भूमि अर्जित करने तथा योजना को चलाने की स्वीकृति प्रदान की।
10-	परिषद की योजनाओं के अन्तर्गत भवनों एवं भूखण्डों के आवंटन में संशोधन के सम्बन्ध में	IV/(10)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से परिषद की योजनाओं के अंतर्गत भवनों एवं भूखण्डों के आवंटन सम्बन्धी प्रक्रिया में संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावों को इस प्रतिबंध के अधीन स्वीकार किया कि ये संशोधन परिषद के कर्मचारियों के लिये लागू नहीं होंगे।

(हस्ताक्षर)
(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

क्रमश: - - 4

(21)

क्र0 सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
11-	परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा	IV/(11)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अर्जित अवकाश नगदीकरण की सुविधा देना अस्वीकार किया।
12-	परिषद के कर्मचारियों को अपने एक संघ का गठन करने तथा उसे मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में	IV/(12)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि कर्मचारियों को अपने संघ का गठन करने तथा उसे मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में सभी बातों पर विचार करते हुये प्रत्येक मामले को परिषद के समक्ष रखा जाय।
13-	मेरठ की गढ़ रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या बी-125 जो श्रीमती शैला मित्तल पत्नी श्री जे0पी0 मित्तल को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित हुआ है, को उनकी पुत्री श्रीमती मधु मित्तल पत्नी मेजर आर0के0 मित्तल के नाम हस्तान्तरित किया जाना।	IV/(13)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से ~~[illegible]~~ आवास आयुक्त को ऐसे सभी मामलों में निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह यह सुनिश्चित करलें कि हस्तान्तरण में किसी भी नियम से बचाव का कोई ~~प्रयास न हो~~ अथवा सीलिंग के प्राविधानों से बचने का प्रयास ~~तो नहीं किया जा रहा है~~ न हो। साथ साथ यह भी निर्णय लिया कि ऐसे अन्य मामलों के लिये गाईड लाईन्स तैयार करके परिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय।
14-	लीज पर दी जाने वाली भूमि के किराये का लागू किया जाना।	IV/(14)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से इस पद पर विचार स्थगित करते हुये यह निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में 'फाईनेंशियल इम्पलीकेशन्स' का पूरा ब्योरा तैयार करके परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
15-	शासन की बगैर गारंटी के 200 लाख रु0 के ऋण पत्रों से प्राप्त होने वाले धन के उपयोग, उसकी अदायगी की व्यवस्था आदि का विवरण।	IV/(15)/75	परिषद ने शासन की बिना गारंटी के 200 लाख रु0 के ऋण पत्रों से प्राप्त होने वाले धन के उपयोग, उसकी अदायगी की व्यवस्था आदि के विवरण का अवलोकन किया।
16-	परिषद के आन्तरिक सम्परीक्षण अनुभाग का पुनर्गठन।	IV/(16)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से इस पद पर विचार स्थगित करते हुये यह निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में लेखा विभाग में वर्तमान स्वीकृत पदों तथा उनके कार्यों का पूर्ण विवरण परिषद के समक्ष पुनः रखा जाय।
17-	परिषद की वित्तीय स्थिति	IV/(17)/75	परिषद ने दी गई वित्तीय स्थिति का अवलोकन किया तथा साथ ही साथ यह निर्णय लिया कि खण्डों आदि में कमी करने के फलस्वरूप अतिरिक्त स्टाफ का पूर्ण विवरण, ऐसे स्टाफ को कहाँ भेजा गया,

(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

क्रमशः - - -5

122

क्र० सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
			उससे खर्चे में कितनी कमी हुई आदि का विवरण परिषद के समक्ष रखा जाय सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि वित्त सचिव के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शे की पेशानी में आवश्यक विवरण भी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
18-	मेरठ की आवासीय योजनाओं में सर्व श्री काली चरन, सत्य प्रकाश ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में।	IV/(18)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से इस पद पर विचार स्थगित कर दिया।
19-	वर्तमान समय में परिषद के खण्डों, उपखण्डों की स्थिति, उनका कार्य-भार तथा खण्डीय स्टोर एवं उसके मूल्य का विवरण।	IV/(19)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से इस पद पर विचार स्थगित कर दिया।
20-	सेवाकाल में आकस्मिक मृत्यु होजाने के उपरान्त परिषद के अधिकारी/कर्मचारी के आश्रितों को आवंटित भूखण्ड/भवन के मूल्य में छूट।	IV/(20)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से इस पद पर विचार स्थगित कर दिया।
21-	मेरठ गढ़ रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या डी-238 जो श्री चोहल सिंह वत्स्यायन को नगद क्रय पद्धति पर आवंटित हुआ है को उनके पुत्र श्री शरत चन्द्र के नाम हस्तान्तरित किया जाना।	IV/(21)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पद संख्या 13 पर लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।
22-	परिषद के कलापों की प्रगति।	IV/(22)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से इस पद पर विचार स्थगित कर दिया।
23-	अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।	IV/(23)/75	माननीय सदस्य श्री द्विवेदी के सुझाव पर अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दिये कि जिन पदों (आईटम्स) पर विचार स्थगित कर दिया गया है उन्हें परिषद की अगली बैठक की कार्य-सूची में ऊपर रखा जाय।

(हस्ताक्षर)
(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

=========

(हस्ताक्षर)
25/9/75